रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032024-252798
CG-DL-E-09032024-252798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1128] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945
No. 1128] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचन

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2024

सं. 70/2023

विषयः अग्रिम प्राधिकार–पत्र (एए) धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (इओयू), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों द्वारा किए गए निर्यातों हेतु आरओडीटीईपी सहायता को बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 1190(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 को धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आरोडीटीईपी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 में निम्नलिखित संशोधान करती हैः

2. पैरा 4.55ः स्कीम के तहत अपात्र आपूर्तियां/मदें/श्रेणियां

एफटीपी 2023 के पैरा 4.55 की क्रम संख्या (viii), (x), (xi) और (xii) को दिनांक 11.03.2024 से हटा दिया गया है।

3. **पैरा 4.54 की क्रम संख्या (vii) को संशोधित किया गया है जिस निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :**

मौजूदा प्रावधान	**संशोधित प्रावधान**
'स्कीम के तहत, पात्र निर्यातकों को अधिसूचित 8 अंकों के एचएस कोड के अंतर्गत वर्गीकृत मदों के निर्यात पर, जहां भी आवश्यक हो, निर्यातित उत्पाद की प्रति इकाई अधिकतम मूल्य के एफओबी मूल्य के प्रतिशत के रूप में एक अधिसूचित दर पर छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, कुछ निर्यात मदों के लिए प्रति इकाई एक निश्चित मात्रा में छूट राशि भी अधिसूचित की जा सकती है। आरओडीटीईपी के तहत प्रति यूनिट छूट/मूल्य की अधिकतम राशि की दरें परिशिष्ट 4द में अधिसूचित की जाएंगी। उपर्युक्त बजट नियंत्रण उपायों के मद्देनजर लाए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों के अलावा, वार्षिक आधार पर आरओडीटीईपी दरों की समीक्षा करने और वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले उन्हें अग्रिम रूप से अधिसूचित करने के प्रयास किए जाएंगे'।	'स्कीम के तहत, पात्र निर्यातकों को अधिसूचित 8 अंकों के एचएस कोड के अंतर्गत वर्गीकृत मदों के निर्यात पर, जहां भी आवश्यक हो, निर्यातित उत्पाद की प्रति इकाई अधिकतम मूल्य के एफओबी मूल्य के प्रतिशत के रूप में एक अधिसूचित दर पर छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, कुछ निर्यात मदों के लिए प्रति इकाई एक निश्चित मात्रा में छूट राशि अधिसूचित की जा सकती है। आरओडीटीईपी के तहत प्रति यूनिट छूट/मूल्य की अधिकतम राशि की दरें परिशिष्ट 4द **और परिशिष्ट 4दङ [अग्रिम प्राधिकार–पत्र धारक (मान्य निर्यातों को छोड़कर), ईओयू और एसईजेड इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए निर्यात हेतु]** में अधिसूचित की जाएंगी। उपर्युक्त बजट नियंत्रण उपायों के मद्देनजर लाए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों के अलावा, वार्षिक आधार पर आरओडीटीईपी दरों की समीक्षा करने और वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले उन्हें अग्रिम रूप से अधिसूचित करने के प्रयास किए जाएंगें।

4. **एक नया पैरा 4.59क शामिल किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः**
'अग्रिम प्राधिकार–पत्र धारक (मान्य निर्यातों को छोड़कर), ईओयू और एसईजेड इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए, पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदें, दरें और प्रति इकाई अधिकतम मूल्य, जहाँ भी लागू हो, परिशिष्ट 4दङ में शामिल हैं और डीजीएफटी पोर्टल www.dgft.gov.in पर > विनिमय > आरओडीटीइपी लिंक के तहत उपलब्ध है'।

5.

क) पैरा 4.54 की क्रम संख्या (x) के अनुरूप, परिशिष्ट 4दङ के तहत निर्यात के लिए कार्यान्वयन की तारीख/अवधि केवल 11.03.2024 से 30.09.2024 तक अग्रिम प्राधिकार–पत्र धारकों (मान्य निर्यातों को छोड़कर) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (इंओयू) द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यातों के लिए अधिसूचित की जा रही है।

ख) एसईजेड इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यातों के लिए आरओडीटीईपी कार्यान्वयन एक बार सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली (आइसगेट) के साथ एसईजेड इकाइयों के आईटी एकीकरण होने के बाद होगा, जो दिनांक 01.04.2024 से प्रचालित किया जाना प्रत्याशित है। मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यातों के लिए अथवा एसईजेड इकाइयों द्वारा किए गए निर्यातों के लिए कार्यान्वयन की अवधि केवल कार्यान्वयन की तिथि से 30.09.2024 तक होगी।

ग) तथापि, एफटीपी 2023 के पैरा 4.54 के तहत प्रदान किए गए बजटीय ढांचे का पालन करने के लिए ताकि परिव्यय स्कीम के अनुमोदित बजट के भीतर रहे, संशोधन या विलोपन सहित आवश्यक परिवर्तन, जहां भी आवश्यक हो, परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दङ में किए जाएंगे।

6. अग्रिम प्राधिकार–पत्र धारक (मान्य निर्यातों को छोड़कर), ईओयू और एसईजेड से संबंधित आरओडीटीईपी समिति की सिफारिशों के अनुसार आरओडीटीईपी अनुसूची में संरेखण करने के क्रम में, परिशिष्ट 4द में 25 एचएस कोड के लिए संशोधित आरओडीटीईपी दरों को अधिसूचित किया जा रहा है।

7. दिनांक 26 सितंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या 33/2023 के अधिक्रमण में, आरओडीटीईपी स्कीम को 30.06.2024 से आगे बढ़ाया जा रहा है और अब 30.09.2024 तक लागू रहेगी।

8. अधिसूचित नया परिषिष्ट 4दङ और 25 निर्यात मदें (परिशिष्टि 4दङ हेतु 8– डिजिट एचएस कोड) डीजीएफटी पोर्टल www.dgft.gov.in में > विनिमय > आरओडीटीईपी लिंक के तहत उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभावः

i. परिशिष्ट 4दङ के अनुसार दिनांक 11.03.2024 से 30.09.2024 तक अग्रिम प्राधिकार–पत्र धारक (मान्य निर्यातों को छोड़कर) और ईओयू इकाइयों के लिए आरओडीटीईपी को बढ़ाया जा रहा है।

ii. परिशिष्ट 4दङ के अनुसार आरओडीटीईपी का विस्तार सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली (आइसगेट) के साथ एसईजेड आईटी एकीकरण पर होगा।

iii. 25 एचएस कोड में आरओडीटीईपी दर संशोधन भी परिशिष्ट 4द में किए जा रहे है।

iv. आरओडीटीईपी स्कीम को पहले सितंबर 2023 में 30.06.2024 तक बढ़ाया गया था, जिसे निर्यात के लिए 30.09.2024 तक बढ़ाया जा रहा है।

[फा. सं. 01/61/180/155/एएम21/पीसी 3/भाग–2]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2024

No: 70/2023

Subject:Extending RoDTEP support for exports made by Advance Authorisation (AA) holders, Export Oriented Units (EOU), Special Economic Zones (SEZ) units- reg.

S.O. 1190(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, and taking into account the recommendations of the RoDTEP Committee Report, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy, 2023:

2. Para 4.55: Ineligible supplies/items/categories under the Scheme–

The serial numbers (viii), (x), (xi) and (xii) of Para 4.55 of FTP 2023 are deleted with effect from 11.03.2024.

3. **Serial number (vii) of Para 4.54 is amended to be read as follows**:

Existing Provision	Amended Provision
‘Under the Scheme, a rebate would be granted to eligible exporters at a notified rate as a percentage of FOB value with a value cap per unit of the exported product, wherever required, on export of items which are categorized under the notified 8 digit HS Code. However, for certain export items, a fixed quantum of rebate amount per unit may also be notified. Rates of rebate / value cap per unit under RoDTEP will be notified in Appendix 4R. In addition to necessary changes which may be brought in view of budget control measures as mentioned above, efforts would be made to review the RoDTEP rates on an annual basis and to notify them well in advance before the beginning of a financial year.’	‘Under the Scheme, a rebate would be granted to eligible exporters at a notified rate as a percentage of FOB value with a value cap per unit of the exported product, wherever required, on export of items which are categorized under the notified 8 digit HS Code. However, for certain export items, a fixed quantum of rebate amount per unit may also be notified. Rates of rebate / value cap per unit under RoDTEP will be notified in Appendix 4R **and Appendix 4RE [for exports of products manufactured by Advance Authorisation holders (except Deemed Exports), EOU and SEZ units]**. In addition to necessary changes which may be brought in view of budget control measures as mentioned above, efforts would be made to review the RoDTEP rates on an annual basis and to notify them well in advance before the beginning of a financial year.’

4. **A new Para 4.59A is added to be read as follows**:

'For exports of products manufactured by AA holders (except Deemed Exports), EOU and SEZ units, the eligible RoDTEP export items, rates and per unit value caps, wherever applicable, are contained in Appendix 4RE and is available at the DGFT portal (www.dgft.gov.in) under the link >Regulations>RoDTEP'.

5.

(a) In line with serial number (x) of Para 4.54, the implementation date/period for exports under Appendix 4RE is being notified for exports of products manufactured by Advance Authorisation holders (except Deemed Exports) and Export Oriented Units (EOUs) from 11.03.2024 till 30.09.2024 only.

(b) The RoDTEP implementation for exports of products manufactured by SEZ units will happen once the IT integration of SEZ units with Customs Automated System (ICEGATE) takes place, which is expected to be operational from 01.04.2024. The implementation period for exports of products manufactured by Free Trade Warehousing Zone or SEZ units will be from the date of implementation till 30.09.2024 only.

(c) However, to adhere to the budgetary framework as provided under Para 4.54 of FTP 2023 so that the outgo remains within the approved Budget of the Scheme, necessary changes including revisions or deletions, wherever necessary, will be made in Appendix 4R & Appendix 4RE as and when required.

6. In order to carry out alignments in the RoDTEP schedule necessitating out of the recommendations of the RoDTEP Committee relating to AA holders (except Deemed Exports), EOU and SEZs, revised RoDTEP rates for 25 HS codes in Appendix 4R are being notified.

7. In supersession of Notification No. 33 /2023 dated 26th September, 2023, the RoDTEP scheme is being extended beyond 30.06.2024 and shall be applicable till 30.09.2024 now.

8. The notified new Appendix 4RE and the revised rates for 25 export items (8-digit HS codes for Appendix 4R) are available at DGFT portal www.dgft.gov.in under the link > 'Regulations > RoDTEP'.

Effect of this Notification:

i. RoDTEP is being extended to AA holders (except Deemed Exports) & EOU units from 11.03.2024 till 30.09.2024 as per Appendix 4RE.
ii. Extension of RoDTEP to SEZ units as per Appendix 4RE will take place on IT integration of SEZs with Customs Automated System (ICEGATE).
iii. RoDTEP rate revisions in 25 HS Codes are also being made in Appendix 4R.
iv. RoDTEP Scheme extended earlier in September 2023 till 30.06.2024, is being further extended for exports till 30.09.2024.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC3/Part-2]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA